



उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

विज्ञापन संख्या : ए-८/ई-१/२०२४
दिनांक : ०३/१२/२०२४

स्थापत्य एवं नियोजन सहायक परीक्षा-2024

ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि: ०३/१२/२०२४

ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन

स्वीकार (Submit) किये जाने की अन्तिम तिथि : ०३/०१/२०२५

ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार/संशोधन और शुल्क समाधान (Fee reconciliation) की अंतिम तिथि : ०८/०१/२०२५

महत्वपूर्ण

- (1) (a) ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को O.T.R. पंजीकरण (O.T.R Registration) कर O.T.R. नम्बर प्राप्त करना अनिवार्य है।
 (b) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑटीआर नम्बर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घण्टे पूर्व आयोग की वेबसाइट <https://otr.pariksha.nic.in> से ऑटीआर नम्बर प्राप्त कर सकते हैं।
 (c) ऑटीआर नम्बर प्राप्त करने के उपरान्त ही आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी चरणों (यथा—O.T.R., फीस भुगतान, फाइनल सबमिशन, अर्हता से संबंधित संशोधन / त्रुटि सुधार इत्यादि) की सूचनाएं सापेक्ष व हार्ड कापी के रूप में भविष्य हेतु संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

(3) अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारम्भिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित न करें।

(4) अभ्यर्थियों को अपने ऑन-लाइन आवेदन की हार्ड-कॉपी के साथ ऑन-लाइन आवेदन में किये गये समस्त दावों के समर्थन में समस्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग के निर्देशनुसार यथासमय संलग्न कर प्रेषित करना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

विशेष सूचना :- (क) आवेदन 'Submit' करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। बैंक में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक शुल्क जमा करने के बाद ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा।

(ख) अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सूचनाओं/निर्देश हेतु आयोग की वेबसाइट का अनवरत अवलोकन करते रहेंगे। अभ्यर्थियों को O.T.R. के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर और e-mail ID पर भविष्य में सभी सूचनायें/निर्देश एसएमएस द्वारा अथवा e-mail के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

यह विज्ञापन आयोग की [Website https://uppsc.up.nic.in](https://uppsc.up.nic.in) पर उपलब्ध है। आवेदन करने हेतु इस विज्ञापन में 'O.T.R. BASED APPLICATION' system लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अतएव अभ्यर्थी ऑन-लाइन ही आवेदन करें।

ऑन-लाइन आवेदन करने के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भाँति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें:-

आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर "ALL NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS" अभ्यर्थी द्वारा Click करने पर 'ON-LINE ADVERTISEMENTS' स्वतः प्रदर्शित होंगे, जिसमें निम्नलिखित तीन भाग हैं:-

(i) User Instructions

(ii) View Advertisement

(iii) Apply

User Instructions में अभ्यर्थियों को ऑन-लाइन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश दिये गये हैं। अभ्यर्थी इनमें से जिस विज्ञापन को देखना चाहें, उसके सामने "**View Advertisement**" को Click करें। ऐसा करने पर पूरे विज्ञापन के साथ ऑन-लाइन आवेदन की प्रक्रिया से सम्बन्धित **Sample Snapshots** भी प्रदर्शित होंगे।

"ऑन-लाइन आवेदन" करने का कार्य निम्नांकित चार स्तरों पर किया जायेगा:-

प्रथम चरण - 'APPLY' Click करने पर परीक्षा के सापेक्ष '**Authenticate with O.T.R.**' प्रदर्शित होगा तथा 'Authenticate with O.T.R.' पर Click करने के उपरान्त '**Have You Completed your O.T.R. Registration?**' प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी को 'Yes' अथवा 'No' पर Tick करना होगा। अभ्यर्थी यदि:-

(i) '**Yes**' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो 'Enter your O.T.R. Number' प्रदर्शित होगा जिसमें उसे 'O.T.R. Number' भरकर 'Proceed' बटन पर Click करना होगा। 'Proceed' बटन पर Click करने के पश्चात '**Click here to Authenticate**' प्रदर्शित होगा, जिस पर Click करके अभ्यर्थी प्राप्त O.T.P. (रजिस्टर्ड मोबाइल नं०/ई-मेल पर) अथवा O.T.R. पासवर्ड के माध्यम से **Authenticate** कर सकते हैं। **Authentication** की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी की समस्त व्यक्तिगत सूचनायें (जैसा कि O.T.R. में भरी गयी हैं) स्वतः प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को केवल पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी होगी।

(ii) '**No**' पर Tick करने के पश्चात 'Go' बटन पर Click करता है तो:- (a). सर्वप्रथम आवेदक को आयोग के ओ.टी.आर. वेब पोर्टल (<https://otr.pariksha.nic.in>) से एकल अवसरीय पंजीकरण संख्या (ओ.टी.आर. नम्बर) प्राप्त करना होगा। (b). ओ.टी.आर. नम्बर प्राप्त करने के पश्चात प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रियानुसार अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

द्वितीय चरण- प्रथम चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात स्क्रीन पर 'Applicant Dashboard' स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी को सम्बन्धित आवेदित पद के सापेक्ष 'Application Part-2' के अन्तर्गत 'Submit Details' पर क्लिक करना होगा जिसके पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र सहित स्थायी एवं पत्र व्यवहार का पता OTR से स्वतः प्रदर्शित होगा एवं साथ ही पद से सम्बन्धित अधिमानी अर्हतायें भी प्रदर्शित होंगी। अभ्यर्थी को विज्ञापित पद के लिए निर्धारित की गयी प्रत्येक अधिमानी अर्हताओं के समुख कालम में Yes या No का चुनाव करना होगा।

त्रुटीय चरण- द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात 'Fee Confirmation Window' स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगी जिसके अन्तर्गत 'Proceed for fee payment' के सम्मुख 'Yes' विकल्प पर क्लिक करने के पश्चात 'SBI MOPS' का 'Home page' प्रदर्शित होगा जिस पर भुगतान के तीन माध्यम (Mode) प्रदर्शित होंगे:-

(i) NET BANKING (ii) CARD PAYMENTS (iii) OTHER PAYMENT MODES.

उक्त माध्यमों में से किसी एक माध्यम द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात 'Payment Transaction Slip'

प्रदर्शित होगी जिसमें शुल्क जमा करने का पूरा विवरण अंकित रहेगा, इसका प्रिन्ट 'प्रिन्टर आइकन' पर क्लिक

करके अवश्य प्राप्त कर लें। 'Payment Failed' होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Candidate Dashboard Login' में जाकर O.T.R. नम्बर भरने के उपरान्त O.T.P. अथवा O.T.R. Password के माध्यम से authenticate और 'Pending Payment' पर Click कर ऑनलाइन आवेदन हेतु अनिवार्य रूप से शुल्क भुगतान करें।

नोट:- निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ON-LINE APPLICATION' प्रक्रिया में Payment करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी उसका प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें और उसे सुरक्षित रखें।

चूर्ण चरण- तृतीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात स्क्रीन पर अभ्यर्थी का आवेदन पत्र स्वतः प्रदर्शित होगा जिसका प्रिन्ट अभ्यर्थी प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन का प्रिन्ट लेकर इसे अपने पास सुरक्षित रखना होगा। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदनोपरान्त अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी 'Home Page' के 'Candidate Dashboard Login' पर Click कर आवेदित पद की अर्हता में संशोधन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक केवल एक बार त्रुटि सुधार कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश

(1) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि/संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमेसिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई-डब्ल्यूएस., क्रीमीलेयर, नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संभवी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

(2) अपूर्ण ऑन-लाइन आवेदन—पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे और इस सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा।

(3) किसी भी स्तर पर परीक्षणोंपरांत यदि यह तथ्य प्रकाश में आता है कि अभ्यर्थी द्वारा कोई शुल्क छिपाई गई है अथवा गलत भरी गई है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयनों से उसे प्रतिवारित (डिवार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(4) उपर्युक्त स्वीकार नहीं होगा। गलत शुल्क प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।

(5) यदि O.T.R. में उल्लिखित व्यक्तिगत शुल्क से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाना है तो उस परिवर्तन के पश्चात Dashboard पर Synchronise (sync) करना अनिवार्य होगा, अन्यथा परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा। इस संबंध में त्रुटि सुधार/संशोधन हेतु कोई भी ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) जो अभ्यर्थी कालान्तर में विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह नहीं पाये जायेंगे, उनका अभ्यर्थन/चयन निरस्त कर दिया जायेगा और परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अभ्यर्थन/चयन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(7) आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर,

4. वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० के अन्तर्गत स्थापत्य एवं नियोजन सहायक पद की कुल रिक्तियाँ 03 हैं जो कि परिस्थितियों एवं आवश्यकतानुसार घट/बढ़ सकती है।

श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:-

कुल पद	अनारक्षित जाति	अनु० अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ई०डब्ल्य०एस०	डी०एफ०एफ०	भू०प००१००	पी०एच०	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ी
03	03	00	00	00	00	00	00	00	00

● प्रश्नगत पद की अनारक्षित रिक्तियों पर चयन हेतु दिव्यांगजन की केवल एच०एच०,ओ०एल० उपश्रेणियों ही विन्हाँकित है।

पद की प्रकृति -समूह “ग”, अराजपत्रित

वेतनमान : पे -मैट्रिक्स लेवल -7 (ग्रेड पे-4600/-)

5. **आरक्षण:** उ०प्र० की अनुसूचित जातियों/उ०प्र० की अनुसूचित जनजातियों/उ०प्र० के अन्य पिछड़े वर्गों/उ०प्र० के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार अनुमन्य है। इसी प्रकार क्षेत्रिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा—उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, महिला अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों और उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार अनुमन्य है।

नोट:- (1) उ०प्र० के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (चिह्नित) किये गये पदों पर चयन के संबंध में जारी कार्यालय ज्ञाप सं० 5 / 2022 / 18 / 1 / 2008 / 47 / का-2 / 2022 दिनांक 18 अप्रैल, 2022 के बिंदु-5 (अनारक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति) में प्राविधान निम्नानुसार किया गया है— दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त चिह्नित किये गये पदों में दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति के लिये प्रतिस्पर्धा करने से मना नहीं किया जा सकता है अर्थात् दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति को किसी अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्ति किया जा सकता है बारें की पद संगत श्रेणी के दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो।

(2) शासनादेश संख्या 39 रिट/का-2/2019 दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा शासनादेश संख्या 18/1/99/का-2/2006 दिनांक 9 जनवरी, 2007 के प्रस्तर 4 में दिये गये प्राविधान, ‘यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमन्य उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य हैं’ को रिट याचिका संख्या 11039/2018 विपिन कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 16.01.2019 को अधिकारातीत (ULTRA VIRES) घोषित करने संबंधी निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 09.01.2007 से प्रस्तर 04 को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय शासन द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.01.2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील (डी) संख्या 475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा परित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(3) ई०डब्ल्य०एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उनकी श्रेणी का प्रमाण—पत्र कार्मिक अनुभाग के कार्यालय—ज्ञाप सं. -1/2019/4/1/2002/का-2/19 ठी.सी.- II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा।

(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी, कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(5) उ०प्र० के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो O.T.R. के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हो) अवश्य अंकित करें क्योंकि समस्त व्यक्तिगत सूचनाएँ O.T.R. से स्वतः आवेदन पत्र में प्रदर्शित होंगी।

(6) आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें।

(7) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी दी जायेगी।

(8) महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र ही मान्य होंगे।

(9) अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा में अपने आवेदन में पात्रता तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी/उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है अन्यथा उनका दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6. आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता शर्तें (केवल आयु में छूट हेतु):-

आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या-22/10/1976-कार्मिक-2-85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं:-

(अ) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ब) ऐसे आवेदकों को यथा समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि

(क) उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया हो।

(ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ हो एवं

(ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अथवा स्वयं की प्रार्थना पत्र के आधार पर अवमुक्त हुआ हो और जिसे ग्रेव्युटी प्रदान की गयी हो।

7. **वैवाहिक प्राप्तियों**:- ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो, पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

8. **शैक्षिक अर्हतायें:- अनिवार्य अर्हतायें**:- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी स्थापत्य संस्थान से स्थापत्य कला में डिप्लोमा।

महाराष्ट्र सरकार का स्थापत्य कला में इंटरस्मीडिएट प्रमाण पत्र (त्रिवार्षिक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम या चार वर्षीय अंशकालिक पाठ्यक्रम) के पश्चात तीन वर्ष का व्यावहारिक अनुभव

या

राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य का स्थापत्य सहायकत्व में डिप्लोमा (तीन वर्ष का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम) के पश्चात चार वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

नोट:- व्यावहारिक अनुभव के संबंध में शासन के पत्र दिनांक 04.09.2023 के अनुसार प्राविधानित व्यवस्था निम्नवत है:-

“काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में पंजीकृत आर्किटेक्चर (Architect) द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण—पत्र अथवा इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया (आईटी.पी.आई.) नई दिल्ली पंजीकृत संस्था/व्यक्ति की फर्म के अधीन स्थापत्य अथवा नियोजन में किसी अभ्यर्थी ने कार्य किया है, तो उसके द्वारा प्रदत्त

व्यावहारिक अनुभव प्रमाण—पत्र को मान्य किया जा सकता है।” साथ ही “काउन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाइट <https://www.cao.gov.in> पर पर पंजीकृत आर्किटेक्चर सरकारी संस्था से भी नियोजन अथवा स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त व्यावहारिक अनुभव प्रमाण—पत्र मान्य किया जा सकता है।” “इन्स्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इण्डिया, आईटी.पी.आई., नई दिल्ली की (वेबसाइट <https://www.itpi.org.in> पर पंजीकृत संस्था / व्यक्ति की फर्म की उपलब्ध) सूची इस विज्ञापन के परिशिष्ट-4

प्रति-नीली) अभ्यर्थी अपने साथ ले जायेगे।

(12) प्रारम्भिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिये गये गलत उत्तरों पर दण्ड (Negative Marking) की व्यवस्था निम्नवत लागू होगी। 1. प्रत्येक प्रश्न के लिये चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिये दिये गये एक गलत उत्तर के लिये प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का 1/3 (0.33) दण्ड के रूप में काटा जायेगा। 2. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी इस प्रश्न के लिए उपर्युक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जाएगा। 3. यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है तो उस प्रश्न के लिये कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा।

(13) याचिका सं0 (सी0) 165 / 2005 संजय सिंह बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय/आदेश का अनुपालन किया जाएगा।

(14) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 35% निर्धारित है अर्थात् इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इसी प्रकार, अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) 40% निर्धारित है अर्थात् ऐसे अभ्यर्थी यदि (प्रारम्भिक/मुख्य) परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता/चयन सूची में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। ऐसे सभी अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दक्षता मानक (Minimum Efficiency Standard) से कम अंक पाने पर अनर्ह माने जायेंगे।

(15) आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों को अंतिम चयन में अनारक्षित श्रेणी के पदों पर तभी समायोजित किया जायेगा जब उनके द्वारा प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा के स्तर पर योग्यता मानक में कोई लाभ/रियायत न लिया गया हो।

(16) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूटरचित Submit किया पाया गया तो उसे लोक सेवा आयोग के सभी चयनों से सदैव के लिये प्रतिवारित किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी।

(17) जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जाते हैं वे अभ्यर्थी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों को उनके प्राप्तांक नहीं दिये जायेंगे।

सामान्य अनुदेश

1— अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात् किसी भी स्तर के आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित तथा ऐसे आवेदन पत्र, जिन पर अभ्यर्थी के फोटो अथवा हस्ताक्षर नहीं होंगे, समय से प्राप्त होने पर भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जाएंगे।

2— सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक अभ्यर्थी द्वारा 'ONLINE APPLICATION' प्रक्रिया में SUBMIT बटन के CLICK करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गई सूचनाओं का प्रिन्ट प्राप्त कर लें और इसे सुरक्षित रखें, किसी विसंगति की दशा में अभ्यर्थी को उक्त प्रिन्ट आयोग कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3— आरक्षण/आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर (परिशिष्ट-1) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाये तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा उत्कृष्ट/कुशल खिलाड़ियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण/आयु सीमा का लाभ अनुमन्य नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

4— आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं, इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब संतुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। पद के लिए वांछित सभी अर्हताएं आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित करनी चाहिए।

5— स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र/पुत्री का पुत्र) एवं पौत्रियां (पुत्र की पुत्री/पुत्री की पुत्री, विवाहित/अविवाहित) ही आते हैं। इस श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या- 453 / 79—वी-1-15-1(का) 14-2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

6— यदि अभ्यर्थी को ऑन-लाइन आवेदन में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग के 'मेल बाक्स' से अपनी कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

7— आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्रों का प्रारूप परिशिष्ट-1 पर, परीक्षा की योजना व पाठ्यक्रम परिशिष्ट-2 पर तथा पद सम्बन्धी संगत सेवा नियमावलियों का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

Detailed Application Form:

At the online page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully. Candidate has the option to either agree or disagree with the contents of Declaration by clicking on 'I Agree' or 'I do not agree' buttons. In case the candidate opts to 'I do not agree', the application will be dropped and the procedure will be terminated. Acceptance of 'I Agree' only will make possible the submission of the candidate's Online Application.

Notification Details

This section shows information relevant to Notification i.e. Notification number, selection type, directorate/ department name and post name.

Personnel Details from OTR

This section shows information about candidate personnel details i.e. OTR Number, candidate name, Father/Husband name, Gender, DOB, UP domicile, Category, Marital status, email and contact number, photo & signature, address, UP Freedom Fighter, Ex Army, service duration and your physical challenges, Skilled Player, Outstanding Player of U.P., Debarred candidate.

Education & Experience Details

It shows your educational and experience details

Declaration segment

At the page there is a 'Declaration' for the candidates. Candidates are advised to go through the contents of the Declaration carefully.

After filling all above particulars there is provision for preview your detail before final submission of application form on clicking on "Preview" button.

Preview page will display all facts/particulars that you have mentioned in O.T.R. if you are sure with filled details then click on "Submit" button to finally push data into server with successfully submission report that you can print.

[CANDIDATES ARE ADVISED TO TAKE A PRINT OF THIS PAGE BY CLICKING ON THE "Print" OPTION AVAILABLE]

For other information candidates are advised to select desired option in 'Home Page' of Commission's website <https://uppsc.up.nic.in>

IMPORTANT ANNOUNCEMENT**- NOTIFICATIONS/ADVERTISEMENTS**

• All Notifications/Advertisements

- ONLINE APPLICATION FORMS SUBMISSION

• Candidate Registration

• Fee Deposition /Reconciliation

• Submit Application Form

• Modify Submitted Application

• Candidate Dashboard (OTR Based)

- CANDIDATE'S HELP DESK SECTION

• Double Verification mode

• View Application Status

• Download Admit Card

• Print Duplicate Registration Slip

• Print Detailed Application Form

• List of Applications Having ANY Objections

• View Answer Key

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS: On-line Application process must be completed (including filling up of OTR, Part-I, Part-II and Part-III of the Form) before last date of form submission according to Advertisement, after which the web-link will be disabled.

परिशिष्ट - 1**उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-पत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम तहसील

नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम तहसील

..... नगर जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान हस्ताक्षर.....

दिनांक पूरा नाम.....

मुहर पद नाम.....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/

अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ सुपुत्री श्री..... निवासी ग्राम.....

तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की

..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित)

आवेदक का
पासपोर्ट
साईज का
अभिप्रामाणित
फोटोग्राफ

हस्ताक्षर(कार्यालय का मुहर सहित)
पूरा नाम
पदनाम
जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / सिटी
मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार।

Signature/thumb impression
of the person in whose
favour certificate of
disability is issued

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

(प्रपत्र- ।।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र / पुत्री / पत्नी ग्राम / कस्बा पोस्ट ऑफिस थाना ...
ब्लाक तहसील जिला राज्य ने आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ:-

- मैं जाति से सम्बन्ध रखता / रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
- मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु
..... (शब्दों में) है।
- मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।
अथवा

कई रस्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता / आती हूँ।

- मैं घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में
से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है।
 - 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा उससे ऊपर।
 - एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे, अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
 - अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
 - अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी
गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर¹
दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति
निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया
गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली
कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

उम्रो के दिव्यांग व्यक्तियों के लिये प्रामाण—पत्र

(दिव्यांगजन प्रारूप)

Form-II

Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism
and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent
passport size
attested
photograph
(showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum.....
son/wife/daughter of Shri..... Date of Birth
(DD/MM/YY)..... Age years,
male/female..... registration No.
permanent resident of House No.
Ward/Village/Street Post office.....
District..... State.....

whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) The diagnosis in his/her case is.....

(A) he/she has % (in figure).
percent (in words) permanent locomotor disability/ dwarfism/blindness in relation
to his/her (part of body) as per guidelines (.....number
and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document Date of Issue Details of authority Issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr.)

(Dr.)

(Dr.)

Member

Member

Chairperson

Medical Board

Medical Board

Medical Board

with seal

with seal

with seal

Form-III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent
passport size
attested
photograph
(showing face
only) of the
person with
disability

Certificate No.

Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum
son/wife/ daughter of Shri Date of birth
(DD/MM/YY)..... age years,
male/ female Registration No.
permanent resident of House No.
Ward/Village/Street Post Office
District State
whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of

Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been
evaluated as per guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability
in the table below:

S. No.	Disability	Affected part	Diagnosis	Permanent physical/Impairment mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy Cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low Vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per
guidelines (..... number and date of issue of the guidelines to be specified), is follows:
In figures..... percent.

In words..... percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:-

(i) not necessary,

or

(ii) is recommended/ after..... years.....

months, and therefore this certificate shall be valid till

(DD) (MM) (YY)

@ - e.g. Left/right/both arms/legs

- e.g. Single eye

£ - e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document Date of Issue Details of authority Issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal
of Member

Name and Seal
of Member

Name and Seal of
the Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued	Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)	(यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)के आश्रित हैं। स्थान..... दिनांक..... हस्ताक्षर पूरा नाम पदनाम मुहर जिलाधिकारी सील.....		
Form-IV Certificate of Disability (In cases of other than those mentioned in Forms II and III) (Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)				
		Recent passport size attested photograph (showing face only) of the person with disability		
Certificate No.	Date:			
This is to certify that we have carefully examined				
Shri/Smt./Kum..... son/wife/daughter of Shri		Date of birth (DD/MM/YY)		
.....age years, male/female.....			
Registration No.....	permanent resident of House No.....	Ward/Village/Street.....		
District.....	State.....			
whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of Disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below				
S. No.	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical/impairment/mental disability (in %)
6.	Low Vision	#		
7.	Deaf	£		
8.	Hard of Hearing	£		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			
(Please strike out the disabilities which are not applicable)				
2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.				
3. Reassessment of disability is :-				
(i) not necessary. or (ii) is recommended/afteryearsmonths, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY)				
@ e.g. Left/right/both arms/legs # e.g. Single eye/both eyes £ e.g. Left/Right/both ears				
4. Signature and seal of the Medical Authority.				
Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson		
Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued		Countersigned by the Chief Medical Officer (with seal)		
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण—पत्र का प्रपत्र।				
प्रमाण—पत्र				
प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर.....जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित) पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993				
कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण—पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं शासनादेश संख्या—22/21/1983—कार्मिक—2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985 प्रमाण—पत्र के फार्म — 1 से 4 प्रारूप — 1				
(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी पूरा पता ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन / राष्ट्रीय एसोसिएशन / (यहाँ संस्था का नाम दिया जाये) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।				
स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर				
नोट : यह प्रमाण—पत्र नेशनल फेडरेशन / नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।				
प्रारूप — 2 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम राज्य सरकार की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) ने दिनांक से दिनांक तक में (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट स्थान का नाम) आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) की प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।				
स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर				
नोट : यह प्रमाण—पत्र प्रदेशीय खेल—कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।				
प्रारूप — 3 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) विश्वविद्यालय का नाम राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवास (पूरा नाम) विश्वविद्यालय की कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।				
स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम मुहर				
नोट : यह प्रमाण—पत्र विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल—कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।				
प्रारूप — 4 (मान्यता प्राप्त क्रीड़ा / खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल—कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य स्तर की सेवाओं / पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण—पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी आत्मज / पत्नी / आत्मजा श्री निवासी (पूरा पता) में स्कूल में कक्षा के विद्यार्थी ने दिनांक से दिनांक तक (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की (क्रीड़ा / खेल—कूद का नाम) प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण—पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स / शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।				
स्थान दिनांक हस्ताक्षर नाम पद संस्था का नाम				

परिशिष्ट – 4

Institute of town planners, India 4-A, Ring Road, I.P.Estate, New Delhi -110002 Bachelor's / Master's in Planning Courses Recognized by ITPI (As on 08.07.2023)

Sr. No.	Name of the State	Sr. No.	Name of the Institute/ University/	Name of the College/Department	Name of the Course/s Approved by ITPI	Year of Recognition
1.	Andhra Pradesh	1	School of Planning and Architecture, Vijayawada	School of Planning and Architecture, Vijayawada	1. Master's of Urban and Regional Planning 2. Master's of Environmental Planning and Management 3. Bachelor's of Planning 4. Master's of Planning (Transport Planning)	2016 2016 2013 2018
2.	Assam	2	Assam Science and Technology University, Guwahati	Guwahati College of Architecture and Planning	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2018
3.	Bihar	3	National Institute of Technology, Patna	Department of Architecture and Planning Patna	Master's of Urban and Regional Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2012-14)
4.	Chhattisgarh	4	Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai	Department of Urban Planning, Bhilai	Master's of Planning (Urban Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
5.	Delhi	5	Institute of Town Planners, India (ITPI)	ITPI, New Delhi	Associateship Examination	1952
		6	School of Planning and Architecture, New Delhi	School of Planning and Architecture, New Delhi	1. P. G. Diploma in Town and Country Planning with specialization in Housing and Community Planning, Urban and Regional Planning, Traffic and Transportation Planning. 2. Master's Degree in (Urban Regional Planning), (Housing and Community Planning) and (Traffic and Transportation Planning). 3. Master's of Planning (Housing) 4. Master's of Planning (Transport Planning) 5. Master's of Planning (Urban Planning) 6. Master's of Planning (Regional Planning) 7. Master's of Planning (Environmental Planning) Bachelor's of Planning	1954 till 1980 1981 to 1984 1985-86 1985-86 1987-88 1987-88 1990-91 1989-90
		7	Indira Gandhi Delhi Technical University for Women, Kashmere Gate, Delhi	Department of Architecture and Planning, Delhi	M. Plan. (Urban Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
		8	Guru Gobind Singh Indraprastha University, Dwarka, Delhi	University School of Architecture and Planning, Dwarka, Delhi	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022
6.	Gujarat	9	Centre for Environmental Planning and Technology University (CEPT), Ahmedabad	Faculty of Planning and Public Policy, Ahmedabad	1. P.G. Diploma in Planning (Environment) Now Master's in Environmental Planning 2. P.G. Diploma in Planning (Urban and Regional Planning)–Now Master's in Urban & Regional Planning 3. P.G. Diploma in Housing (Now Master's of Housing) 4. Master's of Urban Transport Planning and Management - 5. Master's of Planning (Infrastructure Planning) – 6. Master's of Planning (Industrial Area Planning and Management – IAPM) 7. Master's of Rural Planning and Management (RPM) Bachelor's of Planning Present nomenclature 1. Master's of Planning (Urban Planning) 2. Master's of Planning (Housing) 3. Master's of Planning (Infrastructure) 4. Master's of Planning (Transport Systems)	1972 1972 1989 2010 2010 2012 2012 2014 Since 2018 Since 2018 Since 2018 Since 2018
		10	Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat	Civil Engineering Department, Post Graduate Section (Urban Planning, Surat	Master's of Town & Regional Planning Now M. Tech (Urban Planning)	2005

		11	Sardar Patel University, Vallabh Vidyanagar	School of Planning, Bhaikaka Centre for Human Settlement, Arvindbhai Patel Institute of Environmental Design Vallabh Vidyanagar	Master's of Urban Planning Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2005 2015
		12	The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara	Department of Architecture, Faculty of Technology and Engineering, Vadodra	Master's of Urban and Regional Planning	2015
		13	Nirma University, Ahmedabad	Institute of Architecture and Planning, Ahmedabad	Bachelor's of Planning (B. Planning)	2017
		14	Sourashtra University, Rajkot	Indubhai Parekh School of Architecture and Planning Rajkot	Master's in Urban and Regional Planning	2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2016- 2017)
		15	Parul University, Vadodara, Gujarat	Faculty of Architecture and Planning, Vadodara	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2016- 17 for M. Plan.)
		16	L. J. University, Ahmedabad	L. J. School of Planning Ahmedabad	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022
		17	CVM University	Shantaben Manubhai Patel School of Studies and Research in Architecture and Interior Design (SMAID) Faculty of Architecture & Planning, Vallabh Vidyanagar.	Bachelor's of Planning Master's of Urban and Regional Planning	2022 (COURSE STARTED FROM 2021) 2022 (COURSE STARTED FROM 2021)
		18	Institute of Design, Planning and Technology, Sarvajanik University, Surat	Sarvajanik College of Engineering and Technology, Surat	Master's of Planning (Urban and Regional)	2023 (COURSE STARTED FROM 2021)
7.	Haryana	19	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology (DCRUST), Murthal, Sonipat	Gateway College of Architecture, Design and Planning, Sonipat	Master's of Planning (Urban and Regional Planning)	2022
		20	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal, Sonipat	Department of Architecture, Sonipat	Master's of Urban and Rural Planning now Master's of Planning (Urban & Regional Planning)	2010 to June, 2018 July, 2018
		21	Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology, Murthal, Sonipat	Hindu College of Design, Architecture and Planning (HICDAP), Sonipat	Master's of Urban and Rural Planning (MURP) now Master's of Urban and Regional Planning (MURP)	2019 2021
		22	Amity University, Gurugram	Amity School of Architecture and Planning Manesar, Gurugram	Master's of Planning (Urban and Regional) Bachelor's of Planning	2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2011) 2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2011)
		23	Sushant University, Gurugram	Sushant School of Planning & Development Gurugram	Master's of Planning (Urban Planning) Integrated M. Planning B. Planning	2020 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019) 2022 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM (2014)
		24	Om Sterling Global University, Hisar	School of Architecture and Planning, Hissar	Master's of Planning (Urban Planning) Bachelor's of Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019) 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
		25	Lingaya's Vidyapeeth (Deemed to be University), Old Faridabad	School of Architecture and Planning, Faridabad	Master's in Planning (Urban Planning)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2020)
8.	Jharkhand	26	Birla Institute of Technology, Ranchi	Department of Architecture and Planning, Ranchi	Master's in Urban Planning	2007
9.	Karnataka	27	Visvesvaraya Technological University (VTU), Belagavi, Bengaluru	NITTE School of Architecture, Planning and Design, Bengaluru	Bachelor's in Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2017)
		28	University of Mysore	Institute of Development Studies, School of Design, Now School of Planning and Architecture, Mysuru	1. Master's in Regional Planning 2. Master's of Urban and Regional Planning (MURP) M. Tech. (Urban and Regional Planning)	1972 to 78 1979 to 2006 2006 onwards
10.	Kerala	29	University of Kerala now affiliated to A.P.J. Abdul Kalam Technological University Thiruvananthapuram	Department of Architecture and Planning, College of Engineering, Thiruvananthapuram	Master's of Housing M. Planning (Housing)	1989 to 1998 1999 onwards
		30	National Institute of Technology, Calicut, Kerala	Department of Architecture and Planning, Calicut, Kerala	Master's in Planning (Urban Planning)	2017

11.	Maharashtra	31	Savitribai Phule Pune University (Formerly Pune University)	Town Planning Section, Civil Engineering Department, College of Engineering, Pune, [Earlier Government College of Engineering, Pune (1911 to 2003), Pune Institute of Engineering and Technology (2003 to 2006) now College of Engineering, Pune (2006 onwards)],	1. M. E. Civil (T&CP) 2. M. Tech Civil (T&CP) 3. Now M. Plan. (Town and Country Planning) 4. B. Tech (Planning) Now B. Plan.	1966 to 2003 2004 to June, 2018 July, 2018 onwards 2016
		32	Visvesvaraya National Institute of Technology, (VNIT), Nagpur	Department of Architecture and Planning Nagpur	M. Tech. (Urban Planning)	1985-86
		33	MIT-ADT University, Railway station, MIT ADT Campus, Rajbaugh, Solapur - Pune Hwy, near Bharat Petrol Pump, Loni Kalbhor, Maharashtra 412201	Department of Planning, MIT School of Architecture,	Master of Planning (Urban & Regional Planning)	
12.	Madhya Pradesh	34	Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT) Bhopal	Department of Architecture and Planning	1. Masters of Urban Development & Planning Now Master's in Planning (Urban Planning) 2. Masters of Planning (Housing) 3. Bachelors of Planning (B. Plan.)	1992 - 2016 2016 2009 2019 UNDERTAKING RECEIVED (B. PLAN. COURSE STARTED FROM 2007)
		35	School of Planning and Architecture, Bhopal	School of Planning and Architecture, Bhopal	1. Masters of Planning (Urban and Regional Planning) 2. Masters of Planning (Environmental Planning) 3. Bachelors of Planning 4. Masters of Planning (Transport Planning and Logistics Management)	2012 2016 2016 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2018)
		36	Amity University, Gwalior	Amity School of Architecture and Planning, Gwalior	M. Planning (Urban and Regional)	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
		37	Shri Vaishnav Institute of Architecture, Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya, Indore	Department of Planning, Indore	M. Plan. (Urban Planning)	2022
13.	Punjab	38	Guru Nanak Dev University, Amritsar	Guru Ramdas School of Planning, Amritsar	1. Master's of Planning (Urban) 2. M. Tech. (Urban Planning) 3. Master's of Planning (Infrastructure) 4. B. Tech. (Urban and Regional Planning) now Bachelor's of Planning (Urban and Regional Planning) 5. Masters of Planning (Transport)	1972 1996 2010 1991 2019
		39	Lovely Professional University, Phagwara	Lovely School of Architecture, Planning and Design, Phagwara	M. Plan. (Urban Planning) Bachelors of Planning (B. Planning)	2016 2016
14.	Rajasthan	40	Malviya National Institute of Technology (MNIT), Jaipur	Department of Architecture and Planning, Jaipur	Masters of Planning (Urban Planning)	2012
		41	Vivekananda Global University (VGU), Jagatpura, Jaipur	Faculty of Architecture and Planning, Jaipur	Masters of Planning (Urban and Rural)	2023
15.	Tamil Nadu	42	Anna University, Chennai	School of Architecture & Planning, Chennai	Masters of Town & Country Planning Masters of Planning	1964 – 2003 2004 onwards
16.		43	Hindustan Institute of Technology and Science, Chennai (Deemed to be University)	School of Planning, Architecture and Design Excellence, Chennai	Masters of Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2017)
17.	Telangana	44	Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad Now Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts Univ. (JNAFAU) Hyderabad	Department of Urban and Regional Planning, School of Planning & Architecture, Hyderabad	Masters of Urban & Regional Planning M. Tech. (Planning) Bachelors of Planning B. Tech. (Planning)	1992 Since 2009 onwards 2000 Since 2011 onwards
18.	Uttar Pradesh	45	Amity University, NOIDA	Amity School of Architecture and Planning, Noida	B. Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2011-12)
		46	Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Lucknow	Sunder Deep College of Architecture and Planning, Sunder Deep Group of Institution, Hapur	Master's in Urban and Regional Planning	2022
		47	Babu Banarsi Das University, Lucknow	School of Architecture and Planning Lucknow	Master's in Urban and Regional Planning, NOW Masters of Planning Urban Planning)	2012-2022 2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2012)
		48	Dr. APJ Abdul Kalam Technical University (AKTU), Lucknow	Faculty of Architecture and Planning Lucknow	Master's in Urban and Regional Planning	2022 UNDERTAKING RECEIVED (COURSE STARTED FROM 2019)
19.	Uttarakhand	49	I.I.T. Roorkee, Uttarakhand	Department of Architecture and Planning, Roorkee	Masters of Urban & Rural Planning (MURP)	1973
		50	DIT University, Dehradun	School of Architecture, Planning and Design, Dehradun	Masters of Urban and Regional Planning	2023
20.	West Bengal	51	Indian Institute of Technology (IIT), Kharagpur, West Bengal	Department of Architecture and Regional Planning, Kharagpur	Masters of Regional Planning Masters of City Planning	1965 till 1992 1956 onwards
		52	Calcutta University, Now Indian Institute of Engineering Science and Technology, (IIEST), Shibpur, West Bengal	Department of Architecture, Town and Regional Planning, Bengal Engineering College, Shibpur- Kolkata	Masters of Town & Regional Planning, Now Master of Planning	1984-85 2019